न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली

पिठासीन अधिकारी–राजलक्ष्मी गहलोत(R.A.S.)
राजस्व मूलवाद संख्या– 121/2013
तारीख निर्णय– 27/12 /2019

वादीगण–

1. रमेश पुत्र गणेशमल सोंलकी
2. दाकुबाई धर्मपत्नी स्व. गणेशमल सोंलकी
3. किरण पुत्र गणेशमल सोंलकी

जातिगण– ओसवाल महाजन, निवासीगण– बागोल, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0) हाल–नवरंग ज्वैलर्स निर्मल हाउस दुकान न. 6 जैन मन्दिर के सामने टेम्भीनाका थाणा (वेस्ट) मुम्बई

–: बनाम :–

प्रतिवादीगण–

1. जवेरचन्द पुत्र गणेशमल सोंलकी जाति–ओसवाल महाजन निवासी–बागोल तहसील–देसूरी जिला–पाली हाल निवासी–नाकोडा ज्वैलर्स, जैन मन्दिर दुकान नं.9 टेम्भीनाका थाणा (वेस्ट) मुम्बई
2. रतन कंवर पत्नी केसरसिंह जाति–राजपूत निवासी–बागोल तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)
3. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

–: वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,188,92ए राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 :–

उपस्थिति–

1– श्री हुकम सिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2–प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– **दिनांक– 27/12/2019**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–वादीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा– 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम–बागोल पटवार हल्का बागोल, भू–अभिलेख निरक्षक क्षेत्र मगरतलाब, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.) में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8000 [illegible] अव्वल खसरा नम्बर 519 रकबा 0.2300 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल [illegible] 2 कुल रकबा 2.0300 हैक्टर लगान रूपये 52.55 की सम्पूर्ण [illegible] नम्बर 1120 रकबा 0.0100 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन [illegible] रकबा 0.0200 [illegible] किस्म गैर मुमकिन सारण कुल खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.04[illegible] हैक्टर किस्म गैर [illegible]सडा

पेज लगातार 2 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

कुल खसरा नम्बर 3 कुल रकबा 0.0700 हैक्अर का 1/2 हिस्सा की जमीन गणेशमल पुत्र रामचंद्र कौम ओसवाल महाजन की खातेदारी की कब्जा एवं काश्त सुदा विद्यमान थी प्रमाण स्वरूप जमाबन्दी खतौनी संवत 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपी सलग्न है। उपरोक्त खसरा पुराने खसरा नम्बर 269 के नये खसरा नम्बर 1123, व पुराने खसरा नम्बर 269/1 के नये खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 व पुराने खसरा नम्बर 148 के नये खसरा नम्बर 519 बनाये गये गये। प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश है।

वादी गण एवं वादीगण के पिता गणेशमल व प्रतिवादी स. 1 जवेनचंद के मध्य सिविल कोर्ट दीवानी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर ढाणे स्पेशल मुकदमा नम्बर 182/1976 के मुकदमें में बंटवाडा की डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई जिसमें गांव बागोल के पुराने खसरा नम्बर 269, 269/1 जिसके नये खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं बागोल के खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.0700 हैक्टर के 1/2 हिस्से का बेरा, सडा, सारण वादीगण के बंट में रखी गई एवं मौजा बागोल के पूराने खसरा नम्बर 148 जिसके नये खसरा नम्बर 519 रकबा 0.2300 हैक्टर की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जवेरचन्द कें बंट में रखी गई एवं न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई। प्रमाण स्वरूप न्यायालय की डिक्री की प्रति पेश है। जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु गणेशमल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.01.2013 को होने पर फौतेदगी नामान्तर भरा गया उसमे वादीगण के बंट की जमीन में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण द्वारा राजस्व रिकोर्ड मे से नाम निकलवाने का कहने के उपरान्त भी आनाकानी कर रहे है एवं राजस्व रिकोर्ड मे से अपना नाम नही निकाल रहे है व जमीन को खुर्द बुर्द, अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिससे वादीगण ने उक्त वाद खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.070 हैक्टर के 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदारी की घोषणा हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण हस्ब धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। तथा वादीगण यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी स. 1 के विरूद्ध उपरोक्त रूपेण स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु हस्ब धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है।

वादीगण संख्या 1 रमेश अपने स्वयं की ओर से एवं अधिकार प्रदाता दाकुबाई, किरण की ओर से यह वाद वादी संख्या 1 रमेश प्रस्तुत कर रहा है पॉवर ऑफ एर्टोनी की प्रति पेश है एवं प्रतिवादी संख्या 2 रतन कंवर खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 में सहखातेदार है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया हैं।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण तलबी की गई। बाद तलबी के प्रतिवादीगण 1 व 2 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 23.10.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। जबाव दावा पेश न होने से तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 रमेश पुत्र गणेशमल का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:37 IST
Reason: Self Attested

पेज लगातार 3 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पीडब्ल्यू 1 के बयान लेखबद्ध कराये एवं न्यायालय मे परीक्षित कराये गये एवं इस गवाह द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये। न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मगरतलाब ली गई।

बहस एकपक्षीय वकील वादीगण की समायत की गई। वकील वादीगण द्वारा वाद–पत्र मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सयुक्त परिवार है। जिनकी कृषि भूमि राजस्थान एवं मुम्बई मे आई हुई थी। जिसका मध्यस्थता अधि. 1940 के तहत सिविल कोर्ट दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ठाणे स्पेशल मुकदमा नम्बर 182/1976 के मुकदमे में पक्षकारो की सहमति से दावा निर्णित किया गया जिसके अनुरूप वादी काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 भी उसी अनुरूप काबिज है। परन्तु गणेशमल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.01.2013 को होने पर फौतेदगी नामान्तर भरा गया उसमे वादीगण के बंट की जमीन में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। है जिससे वादीगण ने उक्त वाद खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.070 हैक्टर के 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदारी की घोषणा हेतु यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है। अतः पुराने समझौता सिविल कोर्ट दीवानी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर ढाणे स्पेशल मुकदमा नम्बर 182/1976 के मुकदमें में बंटवाडा की डिक्री के अनुरूप वादग्रस्त आराजीयात मौजा सरहद गांव बागोल तहसील–देसरी किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल की सम्पूर्ण आराजीयात के खातेदार एवं खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.0700 हैक्टर के 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण को घोषित किया जावें एवं राजस्व रिकोर्ड में वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जावे।

वकील वादीगण को सुना गया। गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख आदि का अवलोकन किया । प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात से वादग्रस्त आराजियात वादीगण के पिता मृत गणेशमल पुत्र रामचंद्र की खातेदारी की होना साबित है। जिनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है। जिनके मध्य वादीगण एवं वादीगण के पिता गणेशमल व प्रतिवादीगण संख्या 1 जवेरचन्द के मध्य सिविल कोर्ट दीवानी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर ठाणे स्पेशल मुकदमा नम्बर 182/1976 के मुकदमे में बंटवाडा की डिक्री पारित हो चुकी है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात से साबित होता है कि मौजा सरहद गांव बागोल तहसील देसूरी जिला–पाली(राज.) मे स्थित 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.070 हैक्टर के 1/2 हिस्से की आराजी की खातेदारी वादीगण एवं खसरा नम्बर 519 रकबा 0.[illegible] हैक्टर की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 जवेरचन्द कें बंट में रखी गई है। परन्तु गणेशमल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.01. 2013 को होने पर फौतेदगी नामान्तर भरा गया उसमें वादीगण के बंट की जमीन में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हुआ जो कि फौतेदगी नामान्तरण में सभी वारिसान के नाम आने से हुआ है। अतः न्यायायल इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण एवम् प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:42:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

संख्या 1 के मध्य सहमति से दावा निर्णित किया गया जिसके अनुरूप वादी काबिज है प्रतिवादी संख्या 1 भी उसी अनुरूप काबिज है। परन्तु गणेशमल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.01.2013 को होने पर फौतेदगी नामान्तर भरा गया उसमे वादीगण के बंट की जमीन में भी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया जिसे 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.070 हैक्टर के 1/2 हिस्से की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाना उचित समझते है। वादीगण का खातेदारी घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा–88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य है एवं वादीगण माफीक वाद–पत्र के ख़ातेदारी हिस्सा की घोषणा का अनुतोष प्राप्ति की हकदार है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा– 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित की जाती है कि – मौजा सरहद ग्राम– गांव बागोल के पुराने खसरा नम्बर 269, 269/1 जिसके नये खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.8000 हैक्टर की सम्पूर्ण आराजी एवं बागोल के खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.0700 हैक्टर के 1/2 हिस्से का बेरा, सडा, सारण में प्रतिवादी संख्या 1 जेवरचंद का नाम हटाया जाकर वादीगण की घोषित की जाती है एवं मौजा बागोल के पुराने खसरा नम्बर 148 जिसके नये खसरा नम्बर 519 रकबा 0.2300 हैक्टर की आराजी में वादीगण का नाम हटाया जाकर संम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 जवेरचन्द की घोषित की जाती है। वादीगण के बंट हिस्सा व कब्जे में दखलदांजी करने से रोकने हेतु प्रतिवादी 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में अमलदराम किया जावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक–27.12.2019 को मेरे द्वारा सरे–इज्लास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

—: अंतिमडिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :—

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय—सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला— पाली

बइजलास— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत(RAS)

राजस्व मूल वाद संख्या—121 / 2013

तारीख निर्णय—27 / 12 / 2019

वादी—

1. रमेश पुत्र गणेशमल सोंलकी
2. दाकुबाई धर्मपत्नी स्व. गणेशमल सोंलकी
3. किरण पुत्र गणेशमल सोंलकी

जातिगण— ओसवाल महाजन, निवासीगण— बागोल, तहसील— देसूरी, जिला— पाली (राज0) हाल—नवरंग ज्वैलर्स निर्मल हाउस दुकान न. 6 जैन मन्दिर के सामने टेम्भीनाका थाणा (वेस्ट) मुम्बई

—: बनाम :—

प्रतिवादीगण—

1. जवेरचन्द पुत्र गणेशमल सोंलकी जाति—ओसवाल महाजन निवासी—बागोल तहसील—देसूरी जिला—पाली हाल निवासी—नाकोडा ज्वैलर्स, जैन मन्दिर दुकान नं.9 टेम्भीनाका थाणा (वेस्ट) मुम्बई
2. रतन कंवर पत्नी केसरसिंह जाति—राजपूत निवासी—बागोल तहसील—देसूरी जिला—पाली (राज.)
3. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

—: वाद अन्तर्गत धारा— 88,89,188,92ए राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 :—

मुकदमा नम्बर— राजस्व मूल वाद संख्या—121 / 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री हुकम सिंह सोलकी मिनजानिब मुद्धई व वकील ....मिनजानिब मुद्धायलापेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिगरी दी जाती है कि— वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम— गांव बागोल के पुराने खसरा नम्बर 269, 269 / 1 जिसके नये खसरा नम्बर 1123 रकबा 1.80[illegible] आराजी एवं बागोल के खसरा नम्बर 1120, 1121, 1122 कुल रकबा 0.0700 हैक्[illegible] के [illegible]2 हिस्से का बेरा, सडा, सारण में प्रतिवादी संख्या 1 जेवरचंद का नाम [illegible] की घोषित की जाती है एवं मौजा बागोल के पुराने खसरा नम्बर 148 जिसके [illegible] खसरा नम्बर 519 रकबा 0.2300 हैक्टर की आराजी में वादीगण का नाम हटाया जाकर [illegible]म्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 जवेरचन्द की घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपरोक्तानुसार बंटवाडा की अंतिम डिक्री सादिर की जाती है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे मे अमलदरामद एवं नक्शा मे तरमीमात किया जावे।
बरोज ++ मुबलिक ++ बाबत ++ मुकदमे मय सूद वच शहर ++ फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....++ ......
..को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख– 27 माह 12 सन् 2019

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली) मोहर

दस्तखत

औहदा......सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुद्दई	रूपयां पैसा	मुद्दायलास	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:37 IST
Reason: SelfAttested